कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/खेलकूद/विधिक सेवा दिवस/2019/ दिनांक: 27.08.2019

ईमेल आईडी dd.sports.dse@rajasthan.gov.in

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक

विषय :- विधिक सेवा दिवस 2019 के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों एवं स्काउट/गाइड में विधिक जागृति के क्रम में पोस्टर-पेंटिंग, वाद-विवाद, निबंध लेखन एवं खेल प्रतियोगिताओं के जरिये विधिक चेतना अभियान 2019 आयोजन के क्रम में।

प्रसंग :- निदेशक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्र क्रमांक F4()RSLSA/AP&ADR/Games/2019/22108 दिनांक 31/07/19

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक सेवा दिवस 2019 के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों एवं स्काउट व गाइड में विधिक जागृति लाने हेतु विभिन्न प्रतियोगितायों का आयोजन स्कूल, ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रासंगिक पत्रं की प्रति संलग्न कर उक्त प्रतियोगिता हेतु आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. श्रीमान् निदेशक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
02. सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
03. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

2684
- 8 AUG 2019
दिनांक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः—F4( )RSLSA/AP&ADR/Games/2019/ 22108 दिनांकः— 31.7.2019

प्रेषितिः—

DJ (खेलकूद)
07/8/19

श्री नथमल डिडेल, आईएएस,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः— विधिक सेवा दिवस, 2019 के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों एवं भारत स्काउट/गाइड में विधिक जागृति के क्रम में पोस्टर पेंटिंग, वाद—विवाद, निबंध लेखन एवं खेल प्रतियोगिताओं के जरिये विधिक चेतना अभियान 2019 आयोजन के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधिक सेवा दिवस, 2019 के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों एवं भारत स्काउट व गाइड में विधिक जागृति के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से ब्लॉक, जिला, सम्भाग एवं राज्य स्तर पर (1) निबन्ध लेखन (2) वाद विवाद (3) पोस्टर पेंटिंग (4) खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 01.08.2019 से 04.11.2019 के दौरान किया जायेगा।

चूंकि इन प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूली विद्यार्थियों के मध्य किया जाना है जिसके सफल आयोजन में जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता हैं। अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, नोडल अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश प्रदान करें कि वे इन प्रतियोगिताओं के आयोजन में सक्रिय योगदान प्रदान करें।

सादर,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

कमांकः–F2(225)RSLSA/DS-I/Games/2019/ 1553 – 1587 दिनांकः– 21.01.2019

प्रेषितिः–

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः–वर्ष 2019–20 हेतु खेल–कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2019–20 में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से स्कूल विद्यार्थियों के मध्य स्कूल, ब्लॉक, जिला, सम्भाग एवं राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। इस क्रम में सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 वीं से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों एवं भारत स्काउट/गाईड के मध्य निम्नलिखित प्रतियोगिताएँ आयोजित की जानी हैः–

1. कबड्डी
2. खो–खो
3. फुटबॉल
4. वॉलीबॉल
5. बॉस्केट बॉल
6. टेबल टेनिस
7. बैडमिंटन
8. 100 मीटर दौड़
9. 200 मीटर दौड़
10. 400 मीटर दौड़
11. ऊँची कूद
12 लम्बी कूद
13. शतरंज
14. कैरम
15. पोस्टर–पेंटिंग
16. निबन्ध
17. भाषण प्रतियोगिता

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

प्रतियोगिताओं की समय–सारणी इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	चरण	तिथि
1	इन्टर स्कूल (ब्लॉक)	01.08.2019 से 15.08.2019 के मध्य
2	जिला स्तर	01.09.2019 से 10.09.2019 के मध्य
3	संभाग स्तर	22.09.2019 से 05.10.2019 के मध्य
4	राज्य स्तर	02.11.2019 से 04.11.2019 के मध्य

प्रतियोगिता में निम्न विषय सम्मिलित किये जावेगें:–

1. श्रमिकों के अधिकार
2. बाल विवाह
3. बाल श्रम व बाल तस्करी
4. नकल विरोध कानून
5. नागरिकों के मूल कर्तव्य
6. रैगिंग विरोधी कानून
7. भ्रष्टाचार
8. लोक अदालत एवं निःशुल्क विधिक सहायता
9. नशाखोरी–समस्या एवं समाधान
10. पीडित प्रतिकर स्कीम 2011

उक्त विषयों के संबंध में अध्ययन सामग्री तैयार कर जरिये ई–मेल आपको प्रेषित कर दी जावेगी जिसे आप सभी संबंधित स्कूलों में दिनांक 25.07.2019 से पूर्व वितरित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरः–

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ग		प्रतियोगिता का अन्तिम स्तर	विशेष विवरण
1	कबड्डी	बालक	बालिका	राज्य स्तर	प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग हेतु सभी स्तर पर पृथक–पृथक आयोजित की जावे व वर्गवार क्रमशः तालुका, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाए। तालुका स्तर पर प्रथम आने वाली टीम/प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी, इसी प्रकार जिला/संभाग पर प्रथम आने वाले टीम/प्रतिभागी क्रमशः संभाग/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
2	खो–खो	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
3	फुटबॉल	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
4	वॉलीबॉल	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
5	बास्केट बॉल	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
6	टेबल टेनिस (व्यक्तिगत स्पर्धा)	बालक	बालिका	राज्य स्तर	

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

7	बैडमिंटन (व्यक्तिगत स्पर्धा)	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
8	100 मीटर दौड	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
9	200 मीटर दौड	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
10	400 मीटर दौड	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
11	ऊंची कूद	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
12	लम्बी कूद	बालक	बालिका	राज्य स्तर	
13	शतरंज (व्यक्तिगत स्पर्धा)	बालक	बालिका	संभाग स्तर	उक्त प्रतियोगिताओं का अंतिम चरण संभाग स्तर होगा। संभाग स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को संभाग स्तर पर ही पुरस्कृत किया जावे। उक्त प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित नहीं की जावेगी।
14	कैरम (व्यक्तिगत स्पर्धा)	बालक	बालिका	संभाग स्तर	
15	पोस्टर–पेंटिंग			राज्य स्तर	उक्त प्रतियोगिताओं का अन्तिम चरण राज्य स्तर होगा, प्रतियोगिताओं की प्रविष्ठियां केवल एक ही बार अर्थात प्रथम चरण में आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में ली जाये। अगले चरण की प्रतियोगिता में इन्ही प्रविष्ठियों को सम्मिलित किया जाये। अर्थात् ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्ठि जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु भेजी जावे व जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रविष्ठि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हेतु भेजी जावे व संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रविष्ठि राज्य स्तर पर भेजी जावे।
16	निबन्ध			राज्य स्तर	
17	भाषण प्रतियोगिता			राज्य स्तर	उक्त प्रतियोगिता का अंतिम चरण राज्य स्तर होगा। संभाग स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

					प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की प्रविष्ठियाँ इस कार्यालय को संभाग द्वारा प्रेषित की जावे, जिनके आधार पर ही राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का चयन किया जावेगा। प्रतिभागियों की व्यक्तिशः भागीदारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं होगी। भाषण प्रतियोगिता में संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग इस कार्यालय को प्रेषित की जावे व सातों संभाग से प्राप्त प्रविष्ठियों के आधार पर पूर्व निर्धारित निर्णायक मंडल द्वारा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता का चयन किया जावेगा।

प्रतियोगिताओं की कार्ययोजना–

यह प्रतियोगिता सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के मध्य आयोजित की जावें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नोडल अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग व समन्वय से यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय, भारत स्काउट/गाईड कैडेट को इस प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया है तथा अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया है एवं एक भी विद्यालय व भारत स्काउट/गाईड कैडेट इस प्रतियोगिता से वंचित नहीं रहा है। उनके द्वारा इस कार्यक्रम के संबंध में समय–समय पर बैठक कर इस कार्यक्रम की सतत् समीक्षा की जाये और इसे सफलतम बनाना सुनिश्चित किया जाये।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नोडल अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी व स्थानीय संबंधित प्रशासनिक अधिकरी के साथ बैठक का आयोजन किया जावे व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में उक्त विषय विचारार्थ रखा जावे, ताकि प्रतियोगिता में अधिकाधिक प्रतियोगियों के द्वारा खेल की भावना के साथ भाग लिया जावे।

प्रत्येक स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव तथा जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जिनका यह दायित्व होगा कि अपने निर्देशन व निगरानी में सम्पूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन कराये। प्रत्येक स्तर पर प्राप्त प्रविष्ठियों के मूल्यांकन व खेल–कूद में विजेता का निर्धारण नोडल अधिकारियों द्वारा नामित व गठित समिति द्वारा कराया जाकर इसकी रिपोर्ट नोडल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

इस हेतु शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सेवानिवृत व्यक्तियों यथा अध्यापक, प्राध्यापक व शारीरिक शिक्षक आदि की भी स्वैच्छिक सेवायें (Voluntary Services) ली जा सकती है।

प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सामान्य निर्देश

सभी प्रतियोगिताएँ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रमिक रूप से ब्लॉक, जिला व संभाग स्तर पर आयोजित की जाये। सभी प्रतियोगिताओं अर्थात् कबड्डी, खो–खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केट बॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, 100 मीटर दौड, 200 मीटर दौड, 400 मीटर दौड, ऊंची कूद, लम्बी कूद, शतरंज, कैरम, पोस्टर–पेंटिंग, निबन्ध, भाषण प्रतियोगिताका पृथक–पृथक आयोजन किया जाये। एक विद्यार्थी एक या एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है। प्रत्येक स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए पृथक–पृथक प्रथम स्थान पर आने वाले प्रतिभागी/टीम चयनित किये जायें जो अगले स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे अर्थात्

1. ब्लॉक स्तर पर प्रथम आने वाली टीम/प्रतिभागी अगले स्तर जिला स्तर प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
2. जिला स्तर पर प्रथम आने वाली टीम/प्रतिभागी अगले स्तर संभाग स्तर प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
3. संभाग स्तर पर प्रथम आने वाली टीम/प्रतिभागी अगले स्तर राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
4. कबड्डी, खो–खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केट बॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, 100 मीटर दौड, 200 मीटर दौड, 400 मीटर दौड, ऊंची कूद व लम्बी कूद कुल 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जावेगा। उक्त प्रतियोगिताओं में प्रत्येक स्तर पर अर्थात् ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य स्तरीय पर प्रथम आने वाली टीम/प्रतिभागी अगले स्तर क्रमशः जिला, संभाग व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
5. निबन्ध लेखन व पोस्टर/पेंटिंग प्रतियोगिताओं की प्रविष्ठियां केवल एक ही बार अर्थात प्रथम चरण में आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में ली जाये। अगले चरण की प्रतियोगिता में इन्ही प्रविष्ठियों को सम्मिलित किया जाये।
6. भाषण प्रतियोगिता प्रत्येक चरण में नये सिरे से आयोजित की जाये। प्रतियोगिता के लिए विषय का चयन पूर्णकालिक सचिव द्वारा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त किया जाये। प्रत्येक स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का विषय भिन्न–भिन्न रखा जाये। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अगले चरण में सम्मिलित किया जाये। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिभागियों की व्यक्तिशः प्रतिभागिता के आधार पर नहीं किया जाकर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किया जावेगा अर्थात् संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता प्रतिभागी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग इस कार्यालय को प्रेषित की जावे। इस प्रकार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को व्यक्तिशः नहीं बुलाया जावेगा।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

7. कैरम व शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक, जिला व संभाग स्तर पर ही किया जावे। संभाग स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को संभाग स्तर पर ही पुरस्कृत किया जावे। **उक्त प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित नहीं की जावेगी।**
8. प्रतियोगिता में प्राप्त प्रविष्टियां राज्य प्राधिकरण की धरोहर रहेंगी।

(1) ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन

प्रतियोगिता का यह चरण दिनांक 01 से 15 अगस्त, 2019 के मध्य आयोजित किया जाये। उपरोक्त सामान्य निर्देशों के अनुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाकर भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों का विवरण तथा प्रतियोगिताओं में ब्लॉक वार पृथक–पृथक प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की सूची मय प्रविष्ठि सचिव को प्रेषित की जाये। यह सूचना प्रतियोगिताओं के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात दिंनाक 20 अगस्त 2019 तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जावे।

(2) जिला स्तरीय प्रतियोगिताः–

जिला स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से 10 सितम्बर, 2019 के मध्य किया जाये। उपरोक्त सामान्य निर्देशों के अनुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाकर भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों का विवरण तथा सभी प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों की सूची मय प्रविष्ठ संलग्न प्रारूपों में पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाये। यह सूचना प्रतियोगिताओं के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् दिंनाक 12 सितम्बर 2019 तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जावे।

(3) संभाग स्तरीय प्रतियोगिताः–

संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22 सितम्बरसे 05 अक्टूबर, 2019 को कराया जाये। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व संभाग मुख्यालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा जो संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता के लिए नोडल अधिकारी होंगे। उपरोक्त सामान्य निर्देशों के अनुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाकर भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों का विवरण तथा प्रतियोगिताओं में संभाग पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की सूची मय प्रविष्टी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को 10 अक्टूबर, 2019 तक प्रेषित की जाये। इसके अतिरिक्त भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों का विवरण संभाग के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये।

(5) राज्य स्तरीय प्रतियोगिताः–

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के मध्य दिनांक 02 नवम्बर से 03 नवम्बर, 2019 को कराया जायेगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रविष्टियों का मूल्यांकन सदस्य सचिव द्वारा नामित व्यक्तियों की समिति द्वारा किया

जायेगा। यह समिति प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का परिणाम घोषित कर प्रतिभागिता सामग्री सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित करेगी।

इन प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ समारोह दिनांक 02 नवम्बर, 2019 को व समापन/पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 03 नवम्बर, 2019 को आयोजित किया जायेगा।

प्रतियोगिताओं को प्रमाण पत्र व पुरस्कार

उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जायेगा एवं तालुका, जिला एवं संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को विजेता प्रमाण पत्र दिये जायेंगे। राज्य स्तरीय प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को प्रमाण पत्र, गोल्ड मैडल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को प्रमाण पत्र व सिल्वर मैडल एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को प्रमाण पत्र व ब्रॉन्ज मैडल पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जायेगें। प्रमाण पत्रों के प्रारूप राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार कर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भिजवायें जायेगें।

प्रतियोगिता का प्रचार–प्रसार

इन प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु यह आवश्यक है कि इसके प्रारम्भ होने से पूर्व व आयोजन के दौरान प्रर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे। इस हेतु निम्न माध्यम प्रस्तावित है:–

1. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नोडल अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी व स्थानीय संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया जावे व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में उक्त विषय विचारार्थ रखा जावे, ताकि प्रतियोगिता में अधिकाधिक प्रतियोगियों के द्वारा खेल की भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया जावे।
2. स्थानीय समाचार पत्रों, टी वी चैनल, क्म्यूनिटी रेडियों के माध्यम से समाचार प्रकाशित करवाये जावें।
3. शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान व अन्य उपयुक्त समय पर छात्र–छात्राओं को जानकारी दी जावें।
4. प्रतियोगिता का आयोजन होने तक आयोजित किये जाने वाले अन्य विधिक सेवा कार्यक्रम यथा साक्षरता शिविर संगोष्ठी, परिचर्चा, रैली आदि में संबंधित विषय के साथ–साथ इस प्रतियोगिता की जानकारी दी जावें।
5. राज्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई विषय की बुकलेट/पेम्पलेट छात्र–छात्राओं को वितरित करवाई जावें।
6. प्रचार–प्रसार हेतु जिला शिक्षा अधिकारी का भी समुचित सहयोग लिया जा सकता है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतियोगिता का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर लिया गया है तथा दिनांक 25.07..2019 तक अध्ययन सामग्री सभी विद्यालयों में पहुँचा दी गई है तथा इसे छात्र छात्राओं के मध्य वितरित कर दिया गया है।

प्रतियोगिता के आयोजन का व्यय

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की राष्ट्रीय मीट में लिये गये प्रस्तावों व निर्णयों तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार से संबंधित है। अतः प्रतियोगिताओं के संबंधों में होने वाले व्ययों का संधारण/भुगतान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 (सी) में आवंटित राशि से किया जावे।

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वालीटीम/प्रतिभागी को व उसके साथ आने जाने वाले अध्यापक/अभिभावक का द्वितीय श्रेणी रेल या साधारण बस किराये का भुगतान किया जाना तथा उनके ठहरने एवं खाने की व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम/प्रतिभागी को व उसके साथ आने जाने वाले अध्यापक/अभिभावक का द्वितीय श्रेणी रेल या साधारण बस किराये का भुगतान किया जाना तथा उनके ठहरने एवं खाने की व्यवस्था संभाग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी/टीम को व उसके साथ आने वाले अध्यापक/अभिभावक को आने जाने को द्वितीय श्रेणी रेल या साधारण बस का किराये का भुगतान किया जाना तथा उनके ठहरने एवं खाने की व्यवस्था राज्य प्राधिकरण द्वारा की जावेगी।

अतः आप उक्तानुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर परिणाम की सूचना जरिये ई-मेल इस कार्यालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर